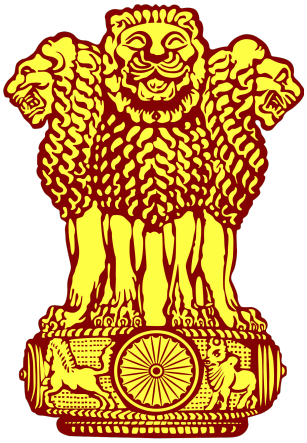

बिहार सरकार

वित्त विभाग

बजट 2023–24 का संक्षिप्त परिचय

वर्ष–2023

I. बिहार बजट 2023–24 का आर्थिक रूप–रेखा

बिहार लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाले राज्यों में से एक है। कोविड महामारी और अन्य कारणों से वित्तीय वर्ष 2020–21 राज्य के लिए आर्थिक मंदी का वर्ष था परन्तु बिहार इस आर्थिक मंदी से तेजी से उबरने वाला राज्य है। जहाँ वित्तीय वर्ष 2021–22 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 6.0 प्रतिशत दर्ज हुआ। इसी वर्ष देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही। जबकि बिहार का आर्थिक विकास दर 10.98 प्रतिशत दर्ज हुआ। बिहार का यह वृद्धि दर भारत के विकास दर से 2.28 प्रतिशत अंक तथा वैश्विक विकास दर से 4.98 प्रतिशत अंक ज्यादा है। यह बिहार सरकार के नीतियों और बेहतर प्रयासों के फलस्वरूप संभव हो सका है। वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी बिहार आर्थिक वृद्धि दर दहाई अंकों में होने का अनुमान है।

बिहार का आर्थिक परिदृष्य

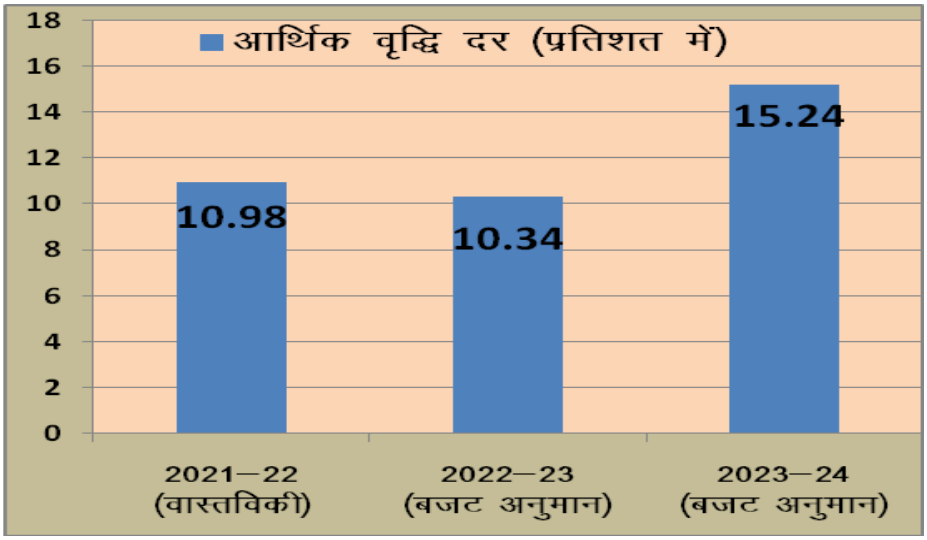

II. बिहार बजट 2023–24 का राजकोषीय अभिविन्यास

वित्तीय वर्ष 2020–21 के वैश्विक महामारी एवं अन्य कारणों से उत्पन्न आर्थिक मंदी से निबटने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक राजकोषीय नीति को अपनाकर उच्च आर्थिक विकास दर हासिल किया है। पिछले वर्षों में राज्य सरकार ने जनहित में लोकोपयोगी योजनाओं में अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी थी जिसके फलस्वरूप राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। यह राज्य के कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं उच्च आर्थिक विकास दर को हासिल करने में सहायक सिद्ध हुआ है। ज्ञातव्य हो कि बिहार वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक राजस्व अधिशेष अर्जित करता रहा है। पुनः वित्तीय

वर्ष 2023–24 में बजट का एक प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समेकन है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में 4,479 करोड़ रूपये का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है। वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा–12 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 बनाई है।

राजकोषीय घाटाः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में केन्द्र सरकार द्वारा तय ऋण अधिसीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4.5 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत सशर्त) के आलोक में 3.78 प्रतिशत रहा। पुनः वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राजकोषीय घाटा को 3.47 प्रतिशत रखा गया है जो बिना शर्त्त के ऋण अधिसीमा 3.50 प्रतिशत के अधीन है। राज्य सरकार ने वित्तीय समेकन के उद्देश्य से बजट वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2.98 प्रतिशत अनुमानित किया है जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के 3.47 प्रतिशत से कम है।

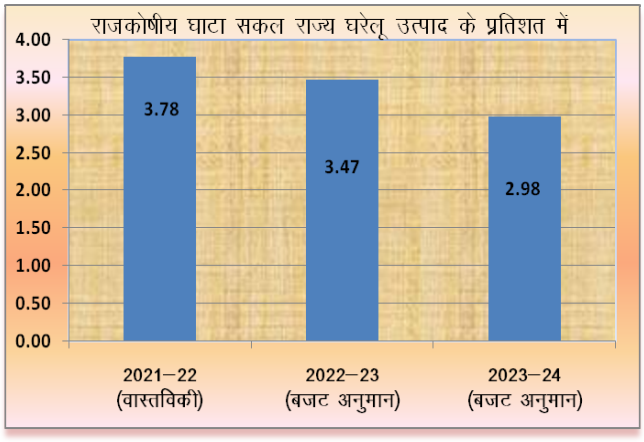

ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्साः– ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा बेहत्तर वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो ऋण प्रबंधन की स्थिति को बताता है। विभिन्न वित्त आयोगों ने ब्याज भुगतान को राजस्व प्राप्ति के अनुपात के रूप में एक निर्धारित सीमा में रखने का अनुशंसा की है। इस अनुशंसा के तहत इसे 10 प्रतिशत की सीमा में रखना बेहत्तर ऋण प्रबंधन को इंगित करता है। बिहार का ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल राजस्व प्राप्ति का अनुपात 8.70 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान के अनुसार यह अनुपात 8.29 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 8.64 प्रतिशत अनुमानित है।

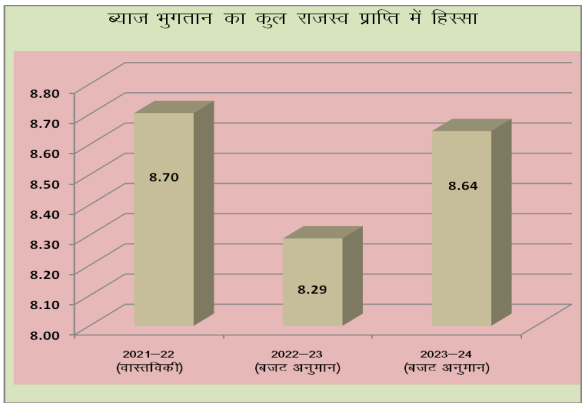

III. प्राप्तियों की प्रवृति एवं संरचना

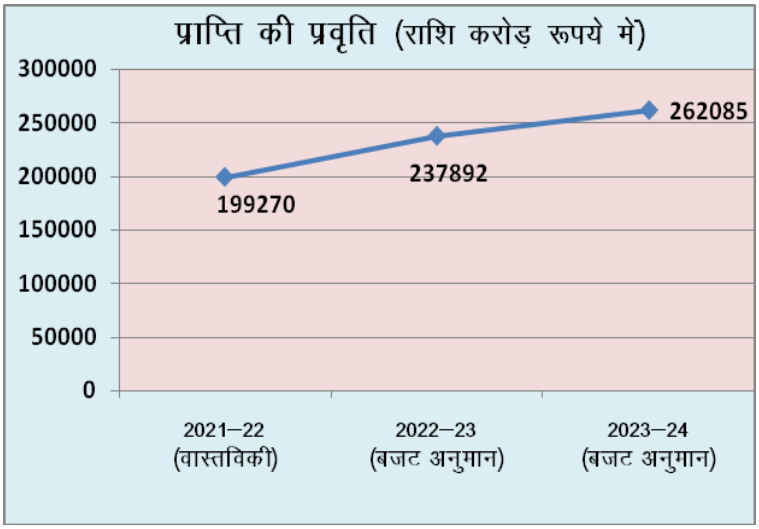

राज्य सरकार से जनता की अपेक्षाऐं बढ़ रही है। इसकी प्रतिपूर्ति एवं उच्च आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार के आय (प्राप्तियों) में अपेक्षित वृद्धि होना जरूरी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल प्राप्तियाँ 1,99,270.15 करोड़ रूपये हुई जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान में बढ़कर 2,37,891.94 करोड़ रूपये तथा पुनः वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2,62,085.40 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान के अनुसार राज्य की कुल प्राप्तियों में वित्तीय वर्ष 2022–23 की तुलना में 24,193.46 करोड़ रूपये की वृद्धि तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविकी की तुलना में 62,815.08 करोड़ रूपये की वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार की कुल आय (प्राप्तियाँ) में राजस्व प्राप्तियाँ 2,12,326.97 करोड़ रूपये तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ 49,758.44 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। इसी वर्ष कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 81.01 प्रतिशत है जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में 82.69 प्रतिशत अनुमानित था।

राजस्व संग्रह की संरचनाः– वित्तीय वर्ष 2023–24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 71.79 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसी वित्तीय वर्ष में कर–भिन्न राजस्व के मद से कुल राजस्व प्राप्ति का 3.07 प्रतिशत राजस्व संग्रह होना अनुमानित है।

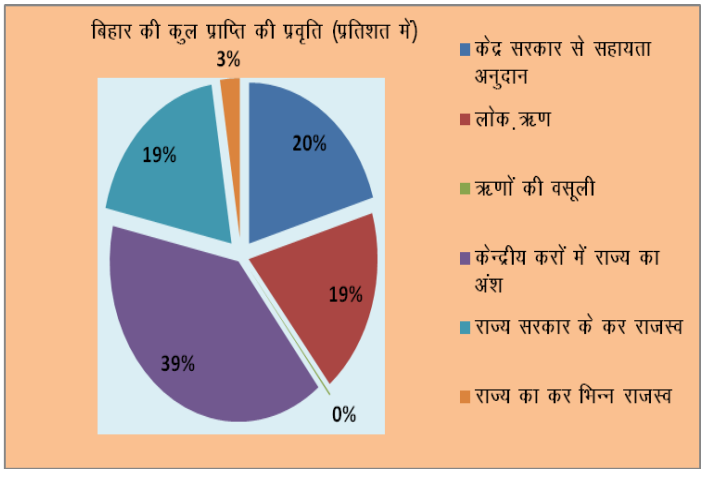

वित्तीय वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा में मात्र 12.67 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है जबकि राज्य के अपने कर राजस्व के मद में 20.09 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमानित है। इसी प्रकार केन्द्रीय

अनुदान के मद में वित्तीय वर्ष 2023–24 में वित्तीय वर्ष 2022–23 की तुलना में (–) 7.97 प्रतिशत की कमी तथा राज्य के अपने कर–भिन्न राजस्व में 6.13 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

IV. राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृति एवं विन्यास

बजट 2023–24 का प्रमुख लक्ष्य उच्चतर आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। राज्य सरकार हमेशा से ही जन कल्याण के प्रति समर्पित रही है। तथा विकास मूलक व्यय को वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रमुख प्राथमिकता दी गयी है। विकास मूलक व्यय के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक प्रक्षेत्र तथा सामान्य प्रक्षेत्र का लोक कार्य पर व्यय एवं पूंजीगत परिव्यय के उपर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है। राज्य के बजट 2023–24 में कुल व्यय का लगभग 63.91 प्रतिशत हिस्सा विकासात्मक व्यय पर रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 का बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट 2,37,691.19 करोड़ रूपये से 10.18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप 2,61,885.40 करोड़ रूपये हो गया है। कुल बजट में 79.37 प्रतिशत राजस्व व्यय तथा 20.63 प्रतिशत पूंजीगत व्यय रखा गया है। क्षेत्रवार वर्गीकरण करने पर राज्य सरकार की सामाजिक प्रक्षेत्र में व्यय की प्राथमिकता साफ उजागर होती है। सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा 38.14 प्रतिशत व्यय कर्णांकित है। आर्थिक सेवाओं पर कुल बजट का 24.01 प्रतिशत व्यय का प्रावधान अनुमानित है। कुल व्यय में से सामान्य सेवाओं पर 28.38 प्रतिशत व्यय अनुमानित है जबकि लोक ऋण की अदायगी के लिए कुल व्यय का 9.0 प्रतिशत रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में महत्वपूर्ण स्कीमों में उपबंधित राशि को विवरणी–VIII में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के प्राथमिकताओं के अन्तर्गत सात निश्चय–2 में कुल 5,000 करोड़ रूपये का उपबंध है, जिसका उल्लेख विवरणी–VII में किया गया है।

क्षेत्रवार व्यय संरचना

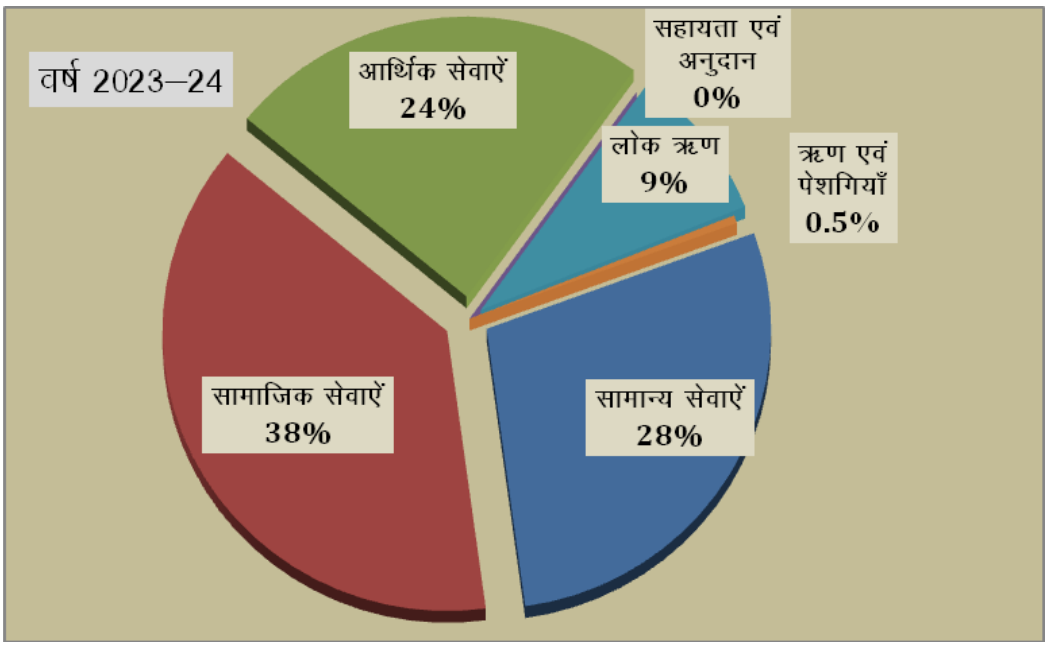

कुल व्यय का प्रवृति (राशि करोड़ रूपये में)

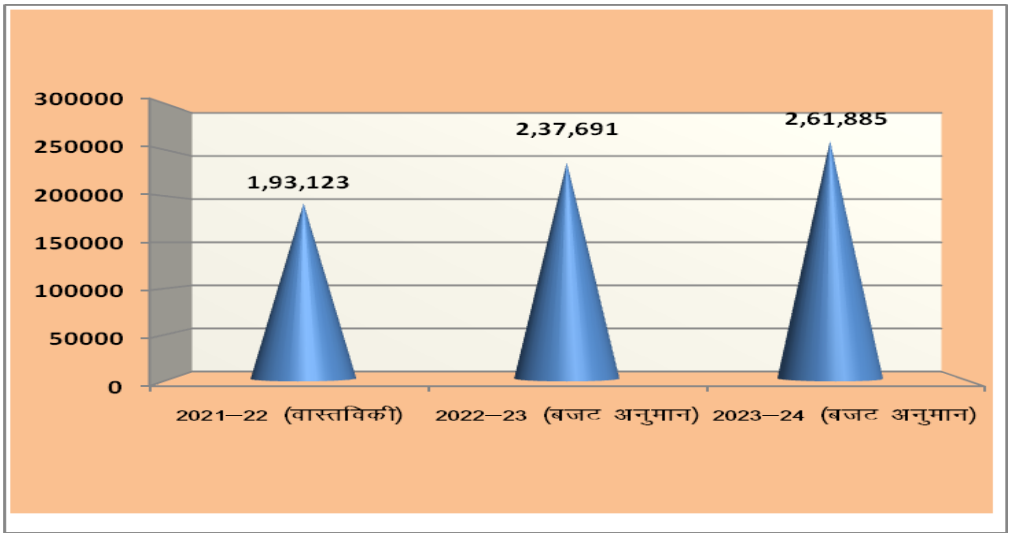

विकासात्मक एवं गैर–विकासत्मक व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

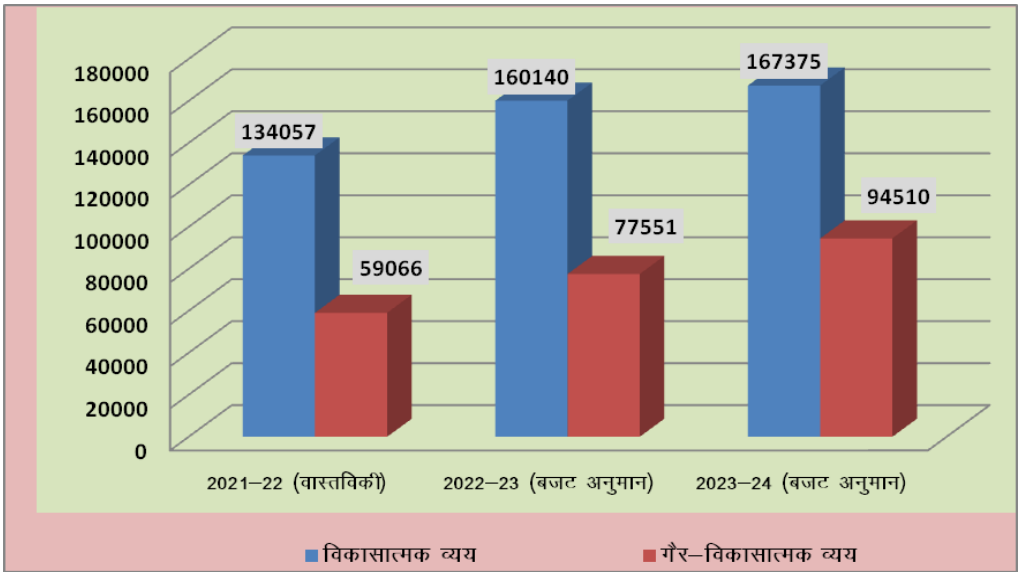

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

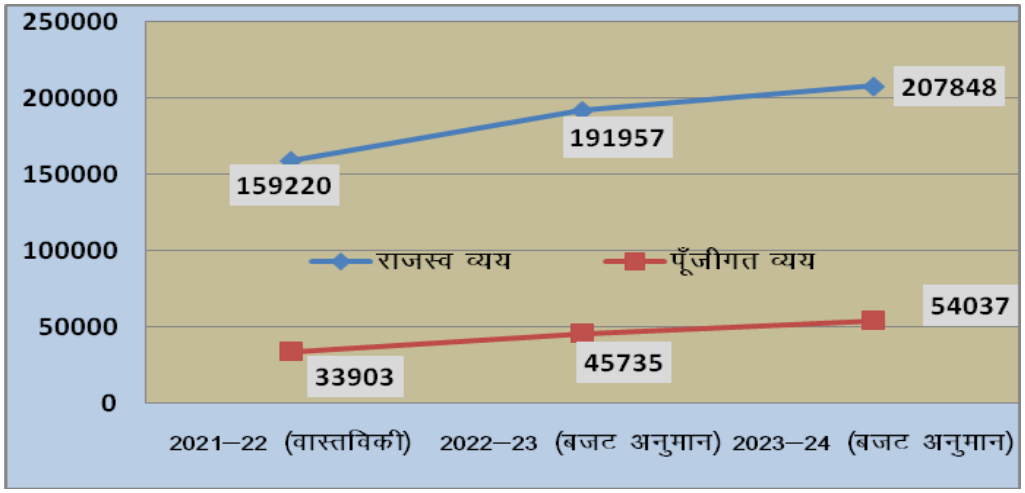

V. ऋण प्राप्ति की रूपरेखा

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4 प्रतिशत की सीमा में रखना है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2023–24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात 37.81 प्रतिशत आकलित है। राज्य वित्तीय सुधार के पथ की ओर अग्रसर है, इसका प्रमाण वर्ष 2021–22 के 38.12 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022–23 में कम होकर 38.05 प्रतिशत तथा पुनः घटकर वर्ष 2023–24 में 37.81 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल लोक ऋण 49,326.53 करोड़ रूपये का अनुमान लगाया गया है। लोक ऋण को राज्य के विकासात्मक व्यय के उपर व्यय करने का बजटीय उपबंध किया गया है। भौतिक एवं सामाजिक अधिसंरचना का सुदृढ़ीकरण सहित समाज के हर तबके के विकास पर राज्य सरकार इस राशि को खर्च कर सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को फलीभूत करेगी।

कुल बकाया ऋण की प्रवृति (राशि करोड़ रूपये में)

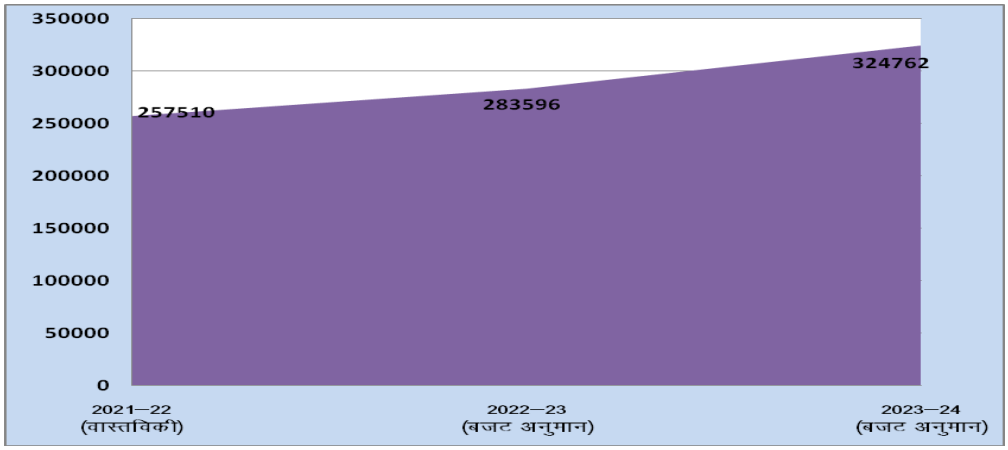

कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में

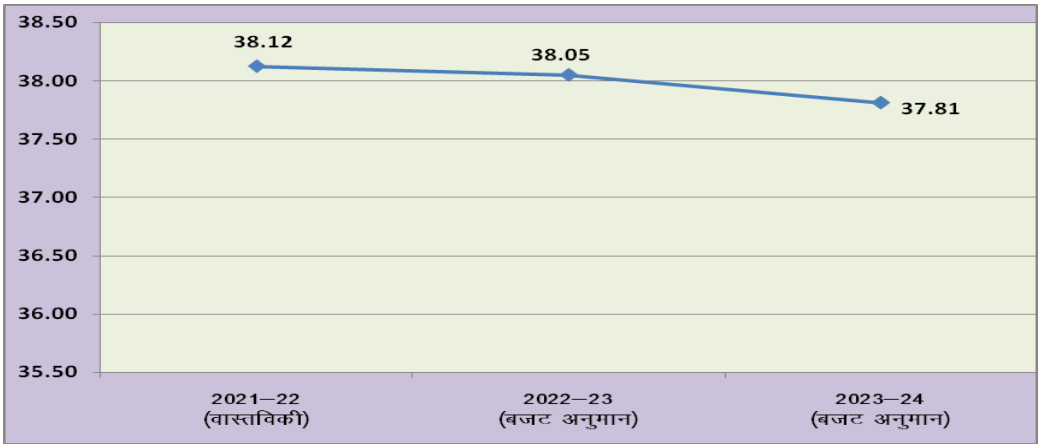

VI. बिहार बजट 2023–24 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएँ निर्धारित की गयी हैं जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है–

1. युवा एवं रोजगार
2. अनवरत महिला सशक्तिकरण
3. अल्पसंख्यक कल्याण
4. पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण
5. कृषि एवं ग्रामीण विकास
6. हरित विकास
7. आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास
8. शहरी विकास

VII. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (वित्तीय वर्ष 2023–24)

"न्याय के साथ विकास" के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय–2 को लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में सात निश्चय–2 अन्तर्गत कुल 5,000.00 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है।

1. युवा शक्ति– बिहार की प्रगति

- राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना : वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 औद्योगिक भागीदार (Industry Partners) को चिह्नित किया गया है। प्रथम चरण में चयनित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में से 20 संस्थानों में 9 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण माह अप्रैल, 2023 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

- राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना : राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नये एवं उभरते हुए तकनीक यथा, Drone Technology, Electrical Vehicle (EV), Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), 3D Printing, Robotics and Industrial Automation आदि में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए Center of Excellence की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (IIT, Patna) को इसके लिए Knowledge Partner सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। इसके लिए वर्ष 2023–24 में 90.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना : राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है एवं इसके लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में स्थल उपलब्ध कराया गया है। इस हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 32 (बत्तीस) पदों का सृजन किया गया है।

- बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना : राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण

विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उक्त विश्वविद्यालय के कार्यो के प्रयोजनार्थ प्रारंभिक रूप से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 32 पदों का सृजन किया गया है।

- बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना : बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बिहार खेल विश्वविद्यालय के सुगम संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 31 पदों का सृजन किया गया है।

- उद्यमिता विकास हेतु अनुदान/प्रोत्साहनः राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता/ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 2080 युवाओं का, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत 2047 युवाओं का एवं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत 2020 युवाओं का औपबंधिक रूप से चयन किया गया है। इस हेतु वर्ष 2023–24 में 550.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2. सशक्त महिला, सक्षम महिला

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना : राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया गया है। वर्ष 2022–23 में इस योजना अंतर्गत 2020 महिलाओं का औपबंधिक रूप से चयन किया गया है। इस योजना हेतु वर्ष 2023–24 में 250.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन : उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000/– रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000/– रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगले वित्तीय वर्ष में 6 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2023–24 में 600.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी : क्षेत्रीय प्रशासन यथा– पुलिस थाना, प्रखण्ड, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

3. हर खेत तक सिंचाई का पानी

- जल संसाधन विभाग के द्वारा वर्ष 2022–23 में कुल 156 योजनाओं का क्रियान्वयन कर 45,194 हे० भूमि को सिंचित किया गया है। वर्ष 2023–24 में 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- लघु जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए आहर–पईन की 56 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। 13 चेक डैम की योजना का कार्य प्रारंभ कर 9 को पूर्ण कर लिया गया है। 54 उद्वह सिंचाई योजना का कार्य प्रारंभ कर 15 को पूर्ण कर लिया गया है। अब तक कुल पुनर्स्थापित सिंचित क्षेत्र 18,602 हे० है। वर्ष 2022–23 के लिए 186 आहर पईंन, 11 चेक डैम तथा 50 उद्वह सिंचाई की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2023–24 में 340.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **कृषि विभाग** द्वारा सामूहिक नलकूप योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 से 2022–23 तक उपलब्धि 2,043 हे० है। ट्रेंचिंग योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 से 2022–23 तक उपलब्धि 3,751 हे० है। सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 से 2022–23 तक उपलब्धि 970.21 हे० है। पक्का चेकडैम योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 से 2022–23 के लिए अब तक उपलब्धि 384 है। वर्ष 2023–24 में 30.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **ऊर्जा विभाग** द्वारा विद्युत उपकेन्द्र निर्माण (33/11 KVA) अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 291 के विरुद्ध उपलब्धि 291, ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन (25/63 KVA) अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 95,916 के विरुद्ध उपलब्धि 93,420, पृथक फीडर निर्माण अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 1,354 के विरुद्ध उपलब्धि 1,354 तथा विद्युत पम्प संबंधन अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 2,76,332 के विरुद्ध उपलब्धि 2,71,207 है। वर्ष 2023–24 में 300.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

4. स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव

- सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट : इस निश्चय के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध रूप से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना है। वर्ष 2023–24 में 392.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन : इसके तहत गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2022–23 तक लक्षित 4,250 ग्राम

पंचायतों के 57,028 वार्डों के विरूद्ध 2,428 पंचायतों के 32,145 वार्डों में कार्य प्रारंभ हो चुका है।

- पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास : राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2023–24 में इस हेतु 100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5. स्वच्छ शहर–विकसित शहर

- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन : बिहार के सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से की जानी है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य के 261 नगर निकायों में से 161 में क्लस्टर आधारित इकाई एवं 100 में स्टैंड अलोन आधारित इकाई के आधार पर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। 35 नगर निकायों में 51 Material Recovery Facility तथा 87 नगर निकायों में 181 Waste to Compost केंद्र संचालित हैं। तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले 231 नगर निकायों मे City Sanitation Action Plan का कार्य प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2023–24 में 124.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु प्रखंड स्तर पर एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र बनाये जाने का प्रावधान है।

- भूमिहीन परिवारों, विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों एवं अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2023–24 में बचे हुए ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर/कलस्टर शौचालय का निर्माण किया जाएगा।

- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण अंतर्गत वर्ष 2023–24 में 15 जिलों में एक–एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है। वर्ष 2023–24 में 10 जिलों में गोबर्द्धन इकाई का निर्माण लक्षित है।

- वृद्धजन हेतु आश्रय स्थल : राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु वर्ष 2023–24 में 20.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन : शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन की नीति निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2023–24 में 35.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण : सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जाना है, जिससे लोगों को वहाँ पर दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएँ मिल सके। 35 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। वर्ष 2023–24 में 120.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास : सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित की जानी है, जिससे जल जमाव की कोई समस्या न हो। इसके तहत सर्वप्रथम नगर निगम क्षेत्रों में योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इसी क्रम में पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों (खगौल, दानापुर एवं फुलवारीशरीफ सहित) से जल निकासी के लिए 9 Catchment area में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हेतु कुल 957.51 करोड़ रु० की योजना स्वीकृत की गयी है। वर्ष 2023–24 में 276.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

6. सुलभ सम्पर्कता

- ग्रामीण पथों की सम्पर्कता : इस योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित है, जिसकी कुल लम्बाई 12250.32 कि०मी० है। वर्ष 2022–23 के लिए Comprehensive Priority List के शीर्ष प्राथमिकता वाली कुल 38 पथों (526.45 कि०मी०) का चयन किया गया है। वर्ष 2023–24 में 185.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाई ओवर का निर्माण : सुलभ सम्पर्कता हेतु बाईपास निर्माण योजना अंतर्गत वर्तमान में कुल 36 बाईपास का निर्माण होना है। वर्ष 2021–22 के लिए लक्षित 8 तथा वर्ष 2022–23 के लिए लक्षित 6 अर्थात कुल लक्षित 14 योजनाओं में से 07 योजनाओं में कार्य प्रारंभ है। वर्ष 2023–24 में 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

7. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा

- बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं : इसके तहत प्रत्येक 8–10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था, पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृ

त्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जानी है। कॉल सेन्टर में फोन कर अथवा मोबाईल एप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही टेली–मेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल जुड़े रहेंगे। वर्तमान में 1137 पशु अस्पताल विभाग द्वारा संचालित है, जिसमें सभी 1137 में टीकाकरण एवं कृमिनाशन तथा 566 में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है।

- गाँव–गाँव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता : स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ कर लोगों को चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के 1396 चिकित्सा पदाधिकारी को Virtual HUB के रूप में चिह्नित कर टेलीमेडिसिन की सेवा प्रदान की जा रही है। कुल 13,451 स्वास्थ्य उप केन्द्र/हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर/आंगनबाड़ी केन्द्र SPOKES के रूप में क्रियाशील हैं। इसके तहत अब तक 28 लाख से अधिक व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है।
- स्वास्थ्य संस्थानों को और बेहतर एवं विस्तारित बनाया जाना : 231 विधानसभा क्षेत्रों में 1–1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्र/हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण हेतु कार्रवाई प्रगति पर है।
- बाल हृदय योजना (स्वास्थ्य विभाग) : राज्य में हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के इलाज के लिए 01 अप्रैल, 2021 से बाल हृदय योजना (नन्हें दिलों की मुस्कान) लागू है। इसके तहत दिनांक–23 जनवरी, 2023 तक कुल 700 से अधिक बच्चों का शल्य चिकित्सा द्वारा सफल ईलाज (निःशुल्क) अहमदाबाद में कराया गया है।

इस निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 460.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

VIII. वित्तीय वर्ष 2023–24 में महत्वपूर्ण स्कीमों में उपबंधित राशि की विवरणी

राशि करोड़ रूपये में

क्रमांक	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
1	समग्र शिक्षा / सर्व शिक्षा अभियान	16131.00
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	6789.14
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	4460.29
4	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	3852.00
5	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन योजना)	3654.00
6	एन०आर०एच०एम० सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	3299.55
7	समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई०सी०पी०एस०)	3111.96
8	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	2374.98
9	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी एवं ग्रामीण)	2333.98
10	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	2237.90
11	छात्रवृति / वजीफा	2234.19
12	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एन०आर०एल०एम०)	2100.00
13	ए०डी०बी० बाह्य संपोषित योजना	1623.00
14	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1410.00
15	पुल (नाबार्ड ऋण योजना)	1250.96
16	सिंचाई सृजन परियोजनाएं	1199.51
17	स्मार्ट सिटी मिशन योजना	1120.00
18	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	1029.57
19	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	1020.62
20	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	1000.00
21	मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना	912.67
22	ग्राम विकास की परियोजना (नाबार्ड सम्पोषित)	900.00
23	हर खेत तक सिंचाई का पानी (सात निश्चय–2)	840.00
24	बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना	690.00
25	एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यानों के अन्तर राज्य हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर मार्जिन	666.67
26	अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन (अमरुत)	604.00
27	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना–सात निश्चय–2	600.00
28	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	556.40
29	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल–जीवन मिशन)	533.33
30	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण	518.44
31	मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना–सात निश्चय–2	500.00
32	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	472.08
33	आँगनबाड़ी सेवायें	457.66
34	अभियंत्रण विश्वविद्यालय– सात निश्चय–2	455.87
35	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	450.50
36	केन्द्रीय सड़क निधि	450.00

राशि करोड़ रूपये में

क्रमांक	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
37	वृहद सड़कें (राज्य योजना सड़क प्रक्षेत्र)	450.00
38	इन्टेंसिफायड फील्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	431.42
39	अन्य आवास	430.00
40	जल–जीवन–हरियाली	421.71
41	सबके लिए आवास (शहरी)	420.00
42	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	400.00
43	स्वच्छ गांव–निश्चय–2 कार्यक्रम	392.00
44	कौशल विकास योजना/मिशन	387.00
45	प्री–प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	375.09
46	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	370.00
47	पंचायत समिति सरकार भवन	350.00
48	सर्वेक्षण और बंदोवस्त कार्य का पुनरीक्षण	349.50
49	साउथ बिहार पावर डिस्टीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	340.00
50	नार्थ बिहार पावर डिस्टीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	340.00
51	बिहार स्टेट पावर टांसमिशन कम्पनी लि० की परियोजना	336.52
52	पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	335.63
53	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	334.00
54	महादलित विकास हेतु	317.31
55	अनूसूचित जाति एवं जनजाति के भवन	315.00
56	स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार –सात निश्चय–2 (शहरी)	300.00
57	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति	292.79
58	उद्यान विकास योजना	280.25
59	प्रौढ़ शिक्षा	278.64
60	आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना	277.00
61	स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम–सात निश्चय–2	276.00
62	मुख्यमंत्री अनु०जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	267.20
63	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	266.42
64	ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	266.00
65	सतत् जीविकोपार्जन योजना	250.00
66	ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना	250.00
67	बिहार राज्य विकलांगता समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	245.00
68	ग्राम कचहरीं/ग्राम पंचायतों/जिला परिषद्/पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	226.00
69	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	220.43
70	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	220.00
71	स्टेडियम एवं खेल संरचना	219.70
72	लक्षित जनवितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	216.83
73	भवन	214.50
74	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	211.35
75	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	210.01

राशि करोड़ रूपये में

क्रमांक	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
76	लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	210.00
77	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	204.35
78	कृषि बाजार का विकास(नाबार्ड)	200.00
79	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	200.00
80	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायक योजना	200.00
81	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	200.00
82	सात निश्चय–2 सुलभ संपर्कता	200.00
83	स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	200.00
84	डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी	200.00
85	विशेष सहायता (बी०आर०जी० पथ)	195.73
86	नगर निगम हेतु नाला निर्माण सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	191.00
87	हवाईअड्डे	190.50
88	ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना	185.00
89	आई०एस०एस०एन०आई०पी०	181.83
90	सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य	181.50
91	पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन (सात निश्चय–2)	160.00
92	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी०एम०एस०बाई०)	160.00
93	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी	157.97
94	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई)	157.89
95	प्रारम्भिक विद्यालय भवन	150.02
96	केन्द्रीय/मंडल/उप काराओं एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु	150.00
97	पुलिस प्रशासन एवं ढांचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु	150.00
98	प्रारम्भिक विद्यालयों में छात्रवृति	150.00
99	राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	145.00
100	अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना	144.31
101	इन्फ्रास्ट्रेक्चर मेन्टनेंस (आधारभूत संरचना)	142.00
102	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी०एम०ए०बी०एच०आई०एम०)	140.80
103	बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	140.00
104	खेलकूद	136.50
105	मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	135.51
106	बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	134.00
107	बीज गुणन फर्मों का विस्तार खेती पर व्यय	130.00
108	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	130.00
109	प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	130.00
110	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	130.00
111	प्रखण्ड के भवन निर्माण	126.74
112	कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी	125.00
113	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2	124.00
114	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	122.00

राशि करोड़ रूपये में

क्रमांक	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
115	इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवने (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)	120.00
116	मोक्ष धाम का निर्माण–सात निश्चय–2 राज्य की राजधानी	120.00
117	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन येाजना	120.00
118	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	120.00
119	अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान	117.18
120	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	111.00
121	सांस्कृतिक संरचना	111.00
122	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	108.00
123	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	105.96
124	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम(आई0डब्ल्यू0एम0पी0)	104.15
125	राजकीय उच्च विद्यालय के भवन	104.00
126	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	102.00
127	एल०डब्लू०ई० जिलों के लिए	100.00
128	खाद्यान्न का भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित)	100.00
129	इको पर्यटन एवं पार्क का विकास	100.00
130	बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	100.00
131	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	100.00
132	मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना	100.00
133	मत्स्य संपदा (सात निश्चय–2)	100.00
134	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूँजी के रूप में	100.00
135	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि	100.00
136	पटना मेट्रो रेल	100.00
137	प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी	100.00
138	सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	100.00
139	अग्निशामक उपकरणों का क्रय	100.00
140	औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन	100.00

रूपया कहाँ से आता है:

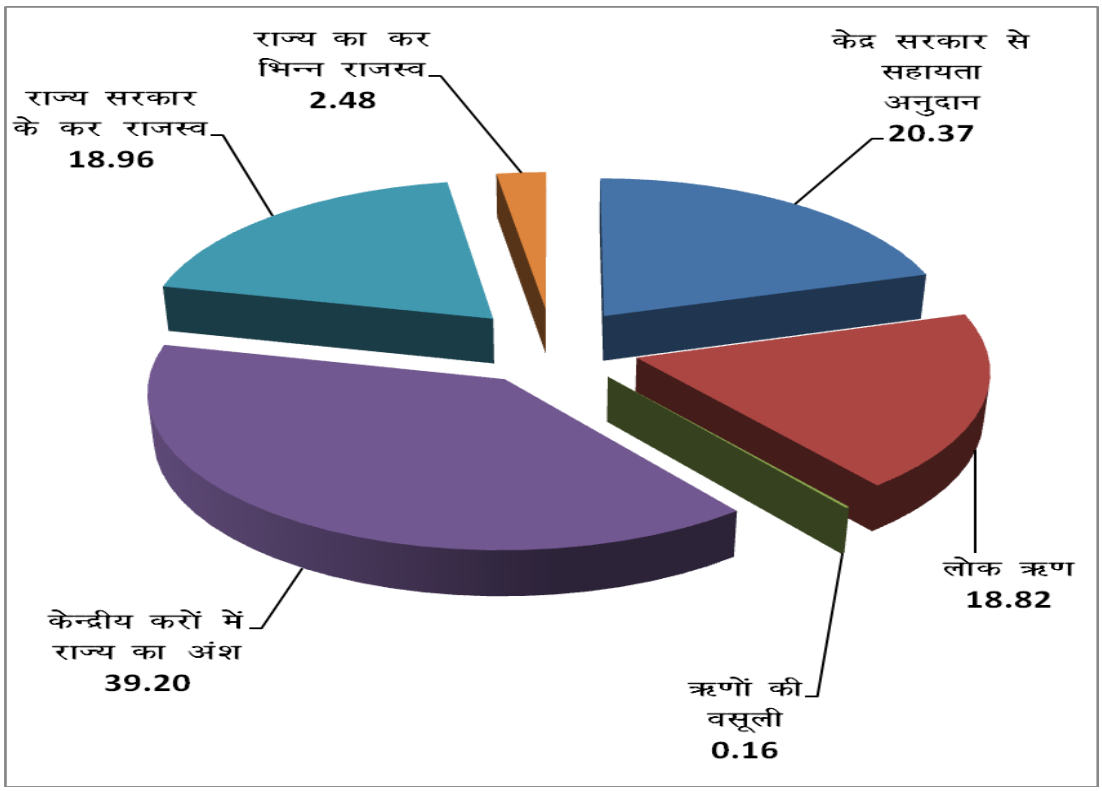

रूपया कहाँ जाता है:

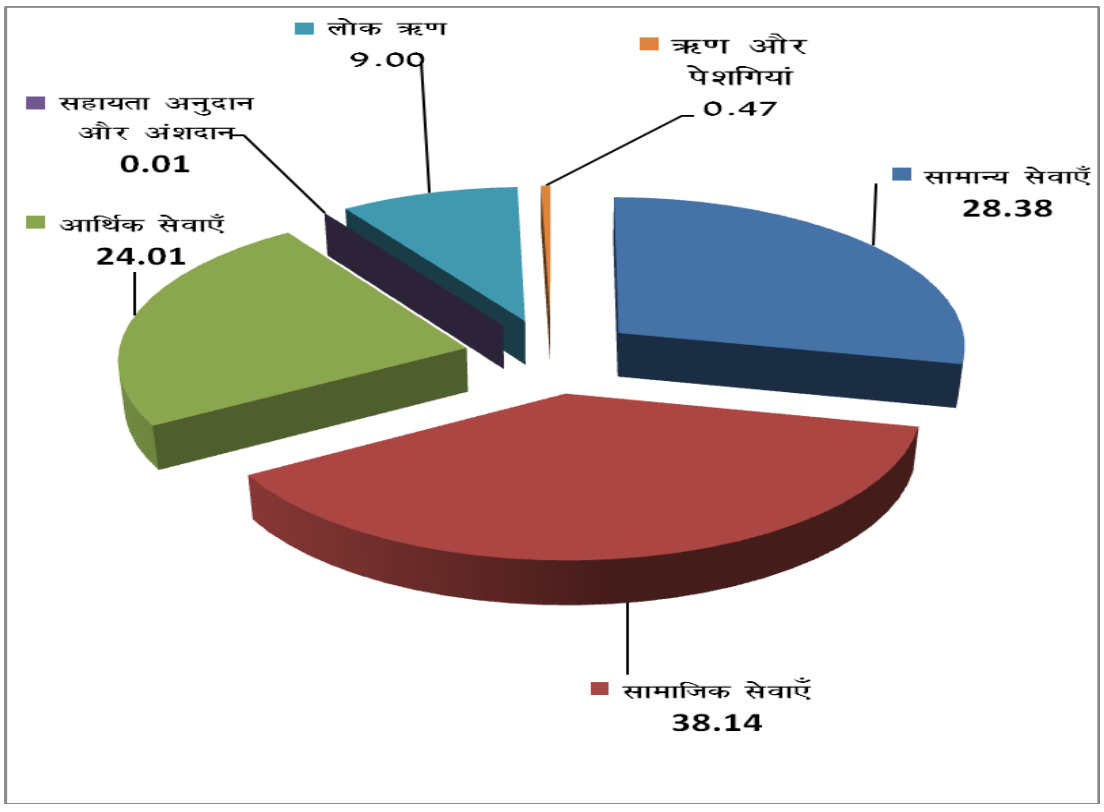

****

(c) Copyright 2023 Finance Department, Govt. of Bihar